

वेतन समिति उत्तर प्रदेश



महत्कूर्ज

शाहना देश

11. 10. 06

प्रथम प्रतिवेदन

वेतन समिति उत्तर प्रदेश



1997



प्रथम प्रतिवेदन

वेतन समिति उत्तर प्रदेश



1997



प्रथम प्रतिवेदन

1963-1964



1963-1964

वेतन समिति उत्तर प्रदेश



1997

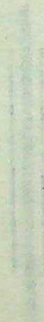


प्रथम प्रतिवेदन

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ



੧੯੯੧



ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ

राज्य की आर्थिक व्यवस्था-

1—उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। इस प्रदेश की जनसंख्या 14 करोड़ से अधिक है और जनसंख्या का घनत्व 473 प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि सम्पूर्ण भारत में औसतन 273 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर रहते हैं। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भली प्रकार सुसज्जित है जिसके पास पूरे देश का काफी अधिक उर्वरक शक्ति वाला भू-भाग है। यह विडम्बना ही है कि जिस राज्य के पास इतने अधिक सुसज्जित प्राकृतिक संसाधन हों उसका मानवीय विकास सूचकांक 0.07 हो जबकि समस्त राज्यों का औसत 0.76 है। सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल (1985-90) में प्रदेश की आय की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, किन्तु 1991 के बाद इस वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई। 1992-96 के मध्य उत्तर प्रदेश की आय में केवल 2.4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि देश की आय में 6.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। इस दौरान प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में केवल 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। 1995-96 में भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से 3338 रुपये अधिक थी। यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि विशेषकर 1990 के बाद प्रदेश में प्रगति की दर लगातार पिछड़ रही है।

2—प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 1994-95 में कृषि क्षेत्र का राज्य आय में अंश 42.5 प्रतिशत था जबकि माध्यमिक (सेकेन्ड्री) तथा तृतीयक (टरशियरी) क्षेत्रों का क्रमशः अंश 19.7 प्रतिशत तथा 37.8 प्रतिशत रहा। वर्ष 1980-81 तथा 1994-95 के बीच प्रदेश की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत कम हुआ जबकि इस अवधि में सेकेन्ड्री तथा टरशियरी सेक्टर प्रत्येक की आय में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोजगार का केवल 8 प्रतिशत अंश था जो इस बात का द्योतक है कि औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश अपर्याप्त रहा जिससे रोजगार के अवसरों में विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पिछड़ गया है। 1991-92 में प्रदेश में 1295 बड़ी व मध्यम इकाइयां और 2.28 लाख छोटी औद्योगिक इकाइयां थीं। 1992-96 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 3.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई जबकि देश में इस क्षेत्र में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। इस प्रकार कृषि उद्योग तथा सेवाओं में समुचित वृद्धि न होने के कारण प्रदेश में रोजगार के अवसर बहुत सीमित रहे हैं, विकास दर में गिरावट व रोजगार के अवसर न बढ़ने से प्रदेश की आय में असंतुलन बढ़ा है। ऐसी स्थिति जहाँ भी उत्पन्न होती है वहाँ अराजक तत्वों को हवा मिलती है।

3—अवस्थापना सुविधाओं की कमी विशेषकर प्रदेश के औद्योगीकरण की मन्द गति का कारण है। इस प्रदेश में बिजली का उपभोग समुचे भारत के औसत उपभोग से बहुत पिछड़ गया है। यही नहीं, बिजली का जो अंश औद्योगीकरण के उपयोग में आता था, प्रदेश में उसके अंश में काफी कमी आई है। इसी प्रकार यह राज्य सड़क यातायात, वित्त जैसी सुविधाओं में भी अधिकतर प्रदेशों की तुलना में पिछड़ रहा है।

राज्य की वित्तीय स्थिति-

4—प्रदेश की वित्तीय स्थिति में गिरावट 1980 के बाद से आरम्भ हुई। 1983-84 में पहली बार राज्य को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा जोकि उस वर्ष 10.574 करोड़ रुपया था। उसके बाद से केवल 1985-86 तथा 1987-88 को छोड़कर, जबकि थोड़ा राजस्व अवशेष था, राजस्व घाटा हर वर्ष बढ़ता गया और 1996-97 में 4856 करोड़ रुपया पहुंच गया जोकि राज्य के घेरलू उत्पाद का 4.09 प्रतिशत है।

5—राज्य की राजस्व आय राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण के आधार पर प्राप्त होती है। राज्य के राजस्व आय के स्रोत हैं—कर, करेत्तर राजस्व तथा संक्रमण। संक्रमण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाजन अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। 1995-96 में 19562 करोड़ रुपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 7.706 करोड़ करों के विभाजन अंश में से तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में 8355 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 1995-96 में 47.7 प्रतिशत था जबकि यह अंश 1989-90 में 49.40 प्रतिशत था। इसी प्रकार राज्य की स्वयं की राजस्व आय में राज्य करों से प्राप्त आय का अंश कुल राजस्व में 1995-96 में 37.7 प्रतिशत था जोकि 1990-91 के 38.1 प्रतिशत से कम था। केन्द्रीय अनुदान के अंश में 1990-91 तथा 1995-96 के बीच 9.7 प्रतिशत कमी आई।

राजस्व आय के विभिन्न घटकों के बीच आपसी अनुपात की स्थिति निम्न तालिका में अंकित है:-

राजस्व अंश का प्रतिशत

वर्ष	राज्य के निजी करों से राजस्व प्राप्तियां	राज्य की करेत्तर राजस्व प्राप्तियां	राज्य का राजस्व	संघीय अन्तरण
1	2	3	4	5
1990-91	38.1	9.3	47.4	52.6
1993-94	34.1	14.1	48.2	51.8
1994-95	36.4	14.1	50.5	49.5
1995-96	35.9	15.8	51.7	48.3
1996-97	37.8	8.1	45.9	54.1

6—1982-83 से प्रदेश की राजस्व आय में 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसी अवधि में राजस्व व्यय में 16.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के प्रमुख भाग हैं—राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। 1989-90 से 1995-96 की छः वर्षों की अल्प अवधि में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व व्यय का अंश 64.13 प्रतिशत से घटकर 48.8 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में प्रशासनिक सेवाओं के व्यय का अंश 16.43 प्रतिशत से बढ़कर 19.98 प्रतिशत हो गया। 1989-90 से 1995-96 की अवधि में जो मुख्य आर्थिक संकेतक निकलते हैं उससे विदित होता है कि राज्य की कुल व्यय राज्य के घरेलू उत्पाद के अंश के रूप में 1989-90 से 1995-96 के बीच 20.54 प्रतिशत से बढ़कर 23.02 प्रतिशत हो गया। इसके मुख्य कारण निम्न हैं:-

(1) लगभग समस्त व्यय में वृद्धि राजस्व व्यय में वृद्धि के रूप में हुई जो 1989-90 में राज्य के घरेलू उत्पाद का 16.31 प्रतिशत था और 1995-96 में बढ़कर 18.83 प्रतिशत हो गया।

(2) राज्य के संसाधनों में वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्र सरकार से राज्य को संक्रमिक होने वाली धनराशि में वृद्धि रही है।

(3) राज्य के आयोजनेतर राजस्व व्यय में ब्याज का अंश 1990-91 में 19.7 प्रतिशत था जो 1996-97 में बढ़कर 38.4 प्रतिशत हो गया। राजस्व आय की वृद्धि में तेजी न होने के कारण 1989-90 से अधिकतर वर्षों में फिसकल घाटा घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत रहा। 1994-95 तथा 1995-96 में फिसकल घाटा 7.02 प्रतिशत हो गया और इससे ऋण तथा ब्याज की देनदारी में वृद्धि हुई है।

7—राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान में उपयोग हो जाता है। राज्य सरकार के अन्तर्गत 1985-86 तथा 1995-96 के बीच स्वीकृत पदों की संख्या 6.965 लाख से बढ़कर 9.67 लाख हो गयी। 1989 में वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण राज्य कर्मचारियों के वेतन का भार 1985-86 के अनुपात में 120.55 प्रतिशत बढ़ा। 1989-90 से 1995-96 तक राज्य कर्मचारियों के वेतन के अन्तर्गत 90.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य कर्मचारियों पर व्यय :

8—राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के अतिरिक्त राज्य सरकार सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के वेतन का भाग भी अनुदान के रूप में वहन करती है। शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में वेतन का एक अंश भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है। यदि हम शैक्षिक संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन भले इत्यादि के लिए देय अनुदान की धनराशि को भी ध्यान में रखें तो कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन पर राज्य सरकार को 1992-93 में 6060 करोड़ रुपया वहन करना पड़ता था, वह 1995-96 में बढ़कर 8155.95 करोड़ रुपया हो गया। इस प्रकार राज्य के कुल निजी कर एवं करेत्तर राजस्व का 103.7 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन व पेंशन आदि पर व्यय होता है। प्रदेश में 1995-96 में राज्य करों तथा शुल्कों से आय 7868.33 करोड़ रुपया हुई थी। इसके विपरीत राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर व्यय 8155.95 करोड़ रुपया था। इससे

स्पष्ट है कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कर्मियों से प्राप्त आय से 287.62 करोड़ रुपया वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय किया जा रहा है। यदि इस स्थिति में आधारभूत परिवर्तन नहीं लाया गया, तो प्रदेश में विकास की गति को तीव्र करना आसान न होगा।

(रुपया करोड़ में)

वर्ष	राज्य कर्मचारियों का वेतन	स्थानीय निकायों के अनुदान	शैक्षिक संस्थाओं का अनुदान
1	2	3	4
1992-93	3191.24	56.46	2350.61
1993-94	3386.84	62.52	2203.96
1994-95	3497.38	66.66	2739.51
1995-96	4065.78	69.93	3299.54

वर्ष	पेंशन	योग (2+3+4+6)	राज्य के निजी कर व करेल्तर राजस्व से प्रतिशत
5	6	7	8
1992-93	471.83	6060.14	114.2
1993-94	444.81	6098.13	104.3
1994-95	496.46	6800.01	100.5
1995-96	720.70	8155.95	103.7

वेतन समितियों का गठन :

9—विगत पच्चीस वर्षों के दौरान प्रथम वेतन आयोग 1971-73 और उस पर वेतन विसंगति समिति वर्ष 1975 में गठित की गयी थी। वर्ष 1979 में द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग तथा वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979 गठित हुआ। द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग की विसंगति के मामले पर पुनरावलोकन समिति तथा मंत्रि परिषद् की उप समिति गठित की गयी। वर्ष 1987 में वेतन समिति तथा विसंगतियों के मामले पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। तत्पश्चात वर्ष 1988 में समता समिति तथा वेतन पुनरीक्षण समिति गठित की गयी।

समता समिति का कार्यक्षेत्र एवं संस्तुतियां :

10—समता समिति 1988 ने अपनी रिपोर्ट अलग-अलग तीन भागों में दी। प्रथम भाग 30 अप्रैल, 1989, द्वितीय भाग 8 अगस्त, 1989 तथा तीसरा भाग 30 सितम्बर, 1989 को दिया। वेतन पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट 30-4-1989 को दी थी। राज्य में वेतनमान संबंधी निर्णय 1-1-1986 से प्रभावी हुए।

11—समता समिति ने निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के संबंध में केन्द्र सरकार में विद्यमान पदों की तुलनीयता के आधार पर वेतनमानों के संबंध में अपनी प्रस्ताविका प्रस्तुत की:-

1—(क) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं थे।

(ख) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारी।

(ग) स्थानीय निकायों एवं जिला परिषदों (जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी।

(घ) उन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी जो द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की परिधि में थे।

2—समता समिति ने ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों से प्रभावित नहीं थे के बारे में संस्तुतियां दी।

3—समता समिति ने जूनियर डाक्टरों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के संबंध में भी अपनी संस्तुतियां दीं।

4—समता समिति को यह स्वतन्त्रता दी गयी कि राज्य कर्मचारियों आदि के लिए विद्यमान वेतनमानों की संख्या में उनको केन्द्र सरकार के वेतनमानों के समान करने के उद्देश्य से, वेतनमानों की संख्या को कम कर सकती थी।

समता समिति की मुख्य संस्तुतियां निम्नवत् हैं :-

(1) समता समिति ने प्रदेश में विद्यमान विभिन्न संवर्गों एवं पदों की समकक्षता केन्द्र सरकार से स्थापित करने का प्रयास किया और उसकी संस्तुतियां दो भागों में विभाजित थीं—(1) ऐसे पदों की समकक्षता जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हों और (2) ऐसे पद जिनके समकक्ष पद केन्द्र सरकार में विद्यमान न हों।

(2) समिति ने यह पाया कि एक ही पदनाम असमकक्ष भी हो सकते हैं और यह भी सम्भव है कि पदनाम विभिन्न होते हुए भी पद समकक्ष हो। किसी भी पद को समकक्ष घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए निर्धारित अर्हता, भर्ती का स्रोत एवं चयन की प्रक्रिया तथा कर्तव्य, दायित्व, कार्यभार तथा कार्यक्षेत्र भी एक से हों।

(3) समिति ने ऐसे पद जो केन्द्र सरकार के समकक्ष पाये उनके लिए तदनुसार वेतनमान और जिन्हें समकक्ष नहीं पाया उनके लिए विद्यमान वेतनमान के सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत किये।

(4) वेतनमानों की संख्या में भी कमी की गई। ऐसे विभाग/संगठन जिनकी समकक्षता प्रदेश सचिवालय से थी, उनके लिए सचिवालय के समान ही वेतनमान देने की संस्तुति की गई। समिति ने पहले से चले आ रहे समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था में भी संशोधन प्रस्तावित किया।

वेतन पुनरीक्षण समिति का कार्यक्षेत्र एवं संस्तुतियाँ:

12—प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षण से संबंधित कार्य समिति के विचारक्षेत्र में रखा गया है। कतिपय मापदण्ड भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये, जिनको समिति को वेतनमान संस्तुत करते समय ध्यान में रखना था। इसमें कुछ वेतनमानों का प्रारम्भिक वेतन, वेतन वृद्धि की दर, वेतनमान का कालमान, सर्वग संरचना तथा न्यूनतम लाभ आदि इंगित किये गये थे। समिति ने इंगित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रस्ताविका प्रस्तुत की।

13—राज्य सरकार द्वारा समता समिति की संस्तुतियां कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार की गई। समता समिति की कुछ संस्तुतियाँ, जैसे—(1) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, (2) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके पदनाम/वेतनमान राजकीय विभागों से भिन्न हैं, तथा (3) राजकीय शिक्षकों के वेतनमानों का, वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर परीक्षण कर, अलग से विचार करने का निर्णय लिया गया। वेतन निर्धारण के संबंध में कुछ संशोधन किये गये। समिति द्वारा संस्तुत अधिकतम परिलब्धियों के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन को जोड़ा गया। सचिवालय में विशेष सचिव के लिए वेतन तथा विशेष वेतन की अधिकतम सीमा रु० 6150 प्रतिमास रखी गयी। साथ ही अवशेष भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई।

समता समिति की संस्तुतियों के बाद संशोधन:

14—समता समिति की संस्तुतियों के पश्चात् विसंगतियों के मामलों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेते हुए अनेक संशोधन हुए हैं। अनेक संवर्गों/पदों के वेतनमान केन्द्र सरकार/दिल्ली प्रशासन की समकक्षता पर निर्धारित नहीं हो पाये थे जिनके वेतनमानों में तदनुसार संशोधन किये गये। कुछ मामलों में उच्चीकरण एवं ढाँचे का परिवर्तन भी हुआ है। समयमान वेतनमान व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है।

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ:

15—केन्द्र सरकार में 1-1-1996 के पूर्व 52 प्रकार के वेतनमान/नियत वेतन थे जिनके स्थान पर अब 34 संशोधित वेतनमान/नियत वेतन रखे गये हैं। पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा उस पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान तथा संशोधित वेतनमान निम्नलिखित हैं :-

क्रम-संख्या	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1	750-12-870-14-940	2550-55-2660-60-3200
2	775-12-871-14-1025	2610-60-3150-65-3540
3	800-15-1010-20-1150	2650-65-3300-70-4000
4	825-15-900-20-1200	2750-70-3800-75-4400

क्रम-संख्या	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
5	950-20-1150-25-1400 950-20-1150-25-1500 1150-25-1500	3050-75-3950-80-4590
6	75-25-1150-30-1540 975-25-1150-30-1660	3200-85-4900
7	1200-30-1440-30-1800 1200-30-1580-40-2040 1320-30-1500-40-2040	4000-100-6000
8	1350-30-1440-40-1800-50-2200 1400-40-1800-50-2300	4500-125-7000
9	1400-40-1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2660	5000-150-8000
10	1640-60-2600-75-2900	5500-175-9000
11	2000-60-2120	6500-200-6900
12	2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-200-10500
13	2375-75-3200-100-3500 2375-75-3200-100-3500-125-3750	7450-225-11500
14	2500-4000 (प्रस्तावित नया पूर्व संशोधित वेतनमान)	7500-250-12000
15	2200-75-2800-100-4000 2300-100-2800	8000-275-13500
16	2630 नियत	9000 नियत
17	2630-75-2780	9000-275-9550
18	3150-100-3350	10325-325-10975
19	3000-125-3625 3000-100-3500-125-4500 3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
20	3200-100-3700-125-4700	10650-325-15850
21	3700-150-4450 3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500
22	3950-125-4700-150-5000	12750-375-16500
23	3700-125-4950-150-5700	12000-375-18000

क्रम-संख्या	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
24	4100-125-4850-150-5300 4500-150-5700	14300-400-18300
25	4800-150-5700	15100-400-18300
26	5100-150-5700 5100-150-6150 5100-150-5700-200-6300	16400-450-20000
27	5100-150-6300-200-6700	16400-450-20900
28	4500-150-5700-200-7300	14300-450-22400
29	5900-200-6700 5900-200-7300	18400-500-22400
30	7300-100-7600	22400-525-24500
31	7300-200-7500-250-8000	22400-600-26000
32	7600 नियत 7600-100-8000	24050-650-26000
33	8000 नियत	26000 नियत
34	9000 नियत	30000 नियत

केन्द्र से राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान की समानता :

16—राज्य सरकार के प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के शिक्षकों को छोड़ते हुए उच्च स्तर पर एक नियत वेतन रु० 8000 को सम्मिलित कर 39 प्रकार के वेतनमान राजकीय कर्मचारी/अधिकारी के उपलब्ध हैं। इन 39 वेतनमानों में 31 वेतनमान ऐसे हैं जो ऊपर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1-1-1996 से अपनाये गये वेतनमानों में उपलब्ध हैं। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के 8 वेतनमान ऐसे हैं जिनका सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान केन्द्र सरकार द्वारा लागू वेतनमानों में नहीं हैं। यह 8 वेतनमान निम्नवत् हैं :-

- (1) 1400-40-1800-द० रो०-50-2400
- (2) 1600-50-2300-द० रो०-60-2600
- (3) 2350-75-2800-द० रो०-100-4000
- (4) 2275-75-2800-द० रो०-100-4100
- (5) 2350-75-2800-द० रो०-100-4300
- (6) 2350-75-2800-द० रो०-100-4400
- (7) 3000-100-3500-125-4750
- (8) 3200-100-3500-125-4875

वेतन निर्धारण के सिद्धान्त व प्रक्रिया :

17—राज्य द्वारा दिनांक 1-1-1986 से संशोधित किये गये वेतनमानों में वेतन निर्धारण का माना गया सिद्धान्त मोटे तौर पर निम्न प्रकार है :-

- (1) कर्मचारी की दिनांक 1-1-1986 को या 1-1-1986 तथा 31-3-1989 के मध्य, जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में थे, का प्रारम्भिक वेतन उसकी मूल/मौलिक पद और स्थानापन्न पद पर अलग-अलग उसकी वर्तमान परिलब्धियों की गणना करते हुए उसके विकल्प के आधार पर निश्चित किया जायेगा।

(2) "वर्तमान परिलब्धियों" में निम्न को जोड़ा गया है :-

(क) किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियाँ दिनांक 1-1-1986 को निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :-

(अ) पद में वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 1-1-1986 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो।

(ब) दिनांक 1-1-1986 को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर-(अ) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(स) दिनांक 1-1-1986 को वर्तमान वेतन में आहरित वेतन पर एक वेतन वृद्धि की धनराशि।

(द) उपर्युक्त उप प्रस्तर-(अ) के अनुसार मूल वेतन तथा उप प्रस्तर-(स) के अनुसार एक काल्पनिक वेतन वृद्धि की धनराशि के योग का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि जिसका न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700 होगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प दिनांक 1-1-86 के बाद अपनी वेतन वृद्धि की दिनांक से लेते हैं, उनकी वर्तमान परिलब्धियाँ निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी:-

(अ) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड, समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में विकल्प की तिथि को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चितदर, जैसी भी स्थिति हो।

(ब) विकल्प की तिथि को प्राप्त उपर्युक्त प्रस्तर-अ के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(स) उपर्युक्त उप प्रस्तर-अ के अनुसार मूल वेतन का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700 होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व से मिल रहे विशेष वेतन को समाप्त कर उसके स्थान पर उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया हो, उपरोक्त प्रस्तर-(2) (क) और (2) (ख) के अन्तर्गत वर्तमान परिलब्धियों की गणना में मिल रहे विशेष वेतन की धनराशि को उपर्युक्त उप प्रस्तर (2) (क) (अ) और (2) (ख) (अ) के अनुसार मूल वेतन के साथ सम्मिलित करते हुए, उस पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता को जोड़कर किया जायेगा।

(घ) "वर्तमान परिलब्धियों" की परिगणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर (2) (ग) से आवृत्त विशेष वेतन से भिन्न हो।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता/वेतन।

(4) ऐसा वेतन जो उक्त प्रस्तर 2 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन नहीं आता।

(5) वैयक्तिक वेतन जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

(7) अन्तरिम सहायता।

उक्त प्रक्रिया के अनुसार “वर्तमान परिलब्धियाँ” अवधारित करने के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान में प्रत्येक कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उसके विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर, यदि कोई हो, उसकी “वर्तमान परिलब्धियों” के अगले उच्च स्तर पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार आगणित धनराशि और पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो उस समय संविलीन किया जायेगा जब सम्बन्धित कर्मचारी वृद्धिरोध वेतनवृद्धि अर्जित करे अथवा प्रोन्नति के वेतनमान में नियुक्ति के फलस्वरूप वेतनवृद्धि अर्जित करे।

यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1.1.1986 और 31.3.1989 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, तो उसका पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद के पुनरीक्षित वेतनमान के अतिरिक्त, किसी ऐसे स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में भी निश्चित किया जायेगा। जिस पर वह दिनांक 1.1.1986 से 31.3.1989 के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्यरत था और जिसके लिए उसने 1.1.1986 से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुना हो किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह उस विशिष्ट तिथि को जिससे उसने स्थानापन्न पद के लिए विकल्प चुना हो, वास्तव में उसी स्थानापन्न पद पर कार्यरत रहा हो।

स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की अन्य पदों पर नियुक्ति पुनरीक्षित वेतनमानों में मानी जायेगी और उन पदों पर उसका वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया

18—पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिये जाने का विशिष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा जो वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है उसमें विकल्प की अनुमति दिनांक 1.1.1996 या किसी अन्य वेतनवृद्धि की तिथि से दी गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा वेतन निर्धारण हेतु माने गये सिद्धान्त में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण वर्तमान परिलब्धियों के आधार पर आगणित धनराशि से पुनरीक्षित वेतनमान में अगले स्तर पर, जैसा पंचम वेतन आयोग ने भी संस्तुत किया है, करने हेतु माना गया है। वर्तमान परिलब्धियों के आगणन में अन्य पदों को उसी प्रकार रखा गया है, जैसा पंचम वेतन आयोग ने संस्तुत किया है। केवल यह अन्तर किया गया है कि वेतन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के स्थान पर यह 40 प्रतिशत के आधार पर जोड़ी जायेगी। जहाँ पहले विशेष वेतन/भत्ता देय था और समाप्त किया गया है उसे भी वर्तमान परिलब्धियों में जोड़ने के पंचम वेतन आयोग का सुझाव मान लिया गया है। चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में वर्तमान परिलब्धियाँ निकालने का सिद्धान्त उसी प्रकार माना गया है, जैसाकि पंचम वेतन आयोग ने संस्तुत किया है। बचिंग के मामले में भी पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को मान लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया गया है कि अपुनरीक्षित वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धियों के अर्जन के आधार पर पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जायेगी। यह भी सुविधा प्रदान की गयी है कि ऐसे मामले में जहाँ अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वृद्धि दिनांक 1.1.1996 है, कर्मचारी चाहे तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही इस वेतन वृद्धि की तिथि को ले सकता है अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में। पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि अपुनरीक्षित वेतनमान में देय वेतनवृद्धि की तिथि को मानी गयी है, प्रतिबन्ध केवल यह है कि यदि वेतन को सामान्य सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित होने वाले वेतन से स्टेट-अप किया गया है तो यह वेतनवृद्धि 12 महीने की सेवा पर दी जायेगी। यह सुविधा भी प्रदान की गयी है कि यदि वरिष्ठ पदधारक का वेतन 1 जनवरी, 1996 को उसी स्तर पर निर्धारित होता है जो उससे कनिष्ठ का है और जो वरिष्ठ से कम वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त कर रहा था, तो उसे अगली वेतन वृद्धि उसी तिथि को दी जायेगी, जिस तिथि को उसके कनिष्ठ को प्राप्त होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में भी कुछ प्राविधान किये गये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा 1.1.1986 से पुनरीक्षित वेतनमान में देय महंगाई भत्ता :

19—केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का फार्मूला चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1.1.1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधित किया गया था। 1.1.1986 के बाद महंगाई भत्ते की प्रथम किश्त 1.7.1986 से दी गयी थी। संशोधित फार्मूला में महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 608 अंकों पर आधारित था और देयता के लिए इसमें तीन स्लैब बनाये गये थे :-

(क) रु० 3500 तक महंगाई भत्ता शत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर देय था।

(ख) रु० 3500 से 6000 तक इसकी दर 75 प्रतिशत दी जाती थी और न्यूनतम धनराशि वह रखी गयी जो रु० 3500 पर देय था।

(ग) रु० 6000 से अधिक मूल वेतन के अधिकारियों हेतु महंगाई भत्ते को प्रतिपूर्ति 65 प्रतिशत के आधार पर रखी गयी थी और इसकी न्यूनतम धनराशि वह थी जो रु० 6000 के मूल वेतन पर देय होती।

राज्य सरकार में देय महंगाई भत्ते की प्रक्रिया :

20—प्रथम वेतन आयोग (1971-73) ने यह संस्तुत किया था कि राजकीय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को 1.8.1972 के बाद महंगाई भत्ता उन्हीं दरों और वेतन सीमाओं के आधार पर दिया जाय जैसा केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत करती है। केन्द्र सरकार ने अपने

कर्मचारियों के वेतन 1.1.1973 से पुनरीक्षित किये थे और पुनरीक्षित वेतनमान में महंगाई भत्ता प्रथम बार 1.5.1973 से दिया गया था। प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार ने "पैरिटी" का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए 1.5.1973 से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को उन्हीं दरों/वेतन सीमा के आधार पर महंगाई भत्ता स्वीकार किया जैसा केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए किया था। आगे भी आज तक महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में "पैरिटी" केन्द्र से चली आ रही है, अन्तर केवल भुगतान की प्रक्रिया में है। हालांकि केन्द्र सरकार सामान्यतः महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को नकद रूप में देती है किन्तु प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसका कुछ भाग कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अथवा राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में देती रही है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, वर्तमान में 1.1.1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में भी महंगाई भत्ते का फार्मूला वही है जैसाकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।

पेंशन निर्धारण में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया:

21—पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन तथा उससे संबंधित लाभों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये हैं:—

- (1) पेंशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय पंचम आयोग द्वारा 1.1.1996 की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन में मूल पेंशन के 20 प्रतिशत का लाभ जोड़ने के स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित कर 40 प्रतिशत किया गया है। साथ ही वेतन आयोग द्वारा संस्तुत न्यूनतम पेंशन रु० 1220 को संशोधित कर रु० 1275 किया गया है।
- (2) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह संस्तुति की, कि पेंशन की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाय। केन्द्र सरकार ने इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि पेंशन की राशि की अधिकतम सीमा सरकार के अन्तर्गत शीर्षस्थ अधिकारी के वेतन का 50 प्रतिशत तक होगी।
- (3) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति कि 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले फार्मूले के अनुसार ही 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार उनका वेतन सैद्धान्तिक रूप से निर्धारित करके अद्यतन किया जाय। तत्पश्चात् वेतन के सैद्धान्तिक निर्धारण के माध्यम से चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान में लाये गये पहले के सभी पेंशनभोगियों तथा 1.1.1986 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1.1.1996 को उनकी समेकित पेंशन निर्धारण करते समय निर्धारण सम्बन्धी वही लाभ देकर जो सेवारत कर्मचारियों को उनके वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में दिये जायें, सभी पेंशनभोगियों से एकसा बरताव किया जा सकता है फिर भी समेकित पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगियों द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इसको यथावत् स्वीकार नहीं किया गया है और यह माना गया है कि 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों सहित 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन 1.1.1996 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार समेकित की जायेगी परन्तु समेकित पेंशन, पेंशनभोगियों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत के स्तर तक नहीं लाई जायेगी।
- (4) पेंशनरों को तात्कालिक लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित किये जाने तक पेंशन संवितरण अधिकारी को मूल पेंशन/वैयक्तिक पेंशन, जहां स्वीकार्य हो, (1.1.1996 की स्थिति के अनुसार) केवल मूल पेंशन पर देय महंगाई राहत, अन्तरिम राहत (प्रथम तथा द्वितीय) तथा मूल पेंशन का 20 प्रतिशत जोड़कर समेकित पेंशन निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाय और इस प्रकार समेकित पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगियों द्वारा धारित पद के केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम न हो, को यथावत् स्वीकार नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसे इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन समेकित करते समय मूल पेंशन के 40 प्रतिशत को उसमें जोड़ा जाय परन्तु 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार समेकित की गई पेंशन पेंशनभोगियों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत तक नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (5) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु उपादान हेतु परिलब्धियों की परिभाषा में, सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय महंगाई भत्ता से सभी प्रकार के आंगणन जैसे ग्रेच्युटी (सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा/सेवान्त) प्रयोजन हेतु सम्मिलित किया जाय, को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है किन्तु पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा हटा दी जाय, को स्वीकार न करते हुए उसकी अधिकतम सीमा रु० 3.5 लाख रखने का निर्णय लिया गया है।
- (6) पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति कि वर्तमान में 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दरों के स्थान पर वेतन के 30 प्रतिशत की एक समान दर रखी जाय, को स्वीकार कर

लिया गया है इसी प्रकार आयोग की यह संस्तुति कि पारिवारिक पेंशन की रु० 1250 की अधिकतम सीमा हटा दी जाय, को संशोधित करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशन राशि की अधिकतम सीमा सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी के वेतन की 30 प्रतिशत तक होगी।

(7) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति के पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की उनकी आयु 25 वर्ष हो जाने तक, उनके पुनर्विवाह हो जाने, अथवा जब तक वह कम से कम रु० 2440 अर्जित करना शुरू न कर दें, इनमें जो पहले हो, तब तक "परिवार" की परिभाषा में सम्मिलित की जाय, को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है किन्तु यह कहा है कि आय के मापदण्ड अलग से तय किये जायेंगे।

(8) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि ऐसे मामले जिनमें दिवंगत कर्मचारी अपने पीछे कोई विधवा या कोई संतान न छोड़ गया हो, ऐसे माता-पिता "कुटुम्ब" की परिभाषा में सम्मिलित किये जाय जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते उनपर पूर्णतया आश्रित थे। ऐसे माता पिता सामान्य दर, अर्थात् दिवंगत कर्मचारी के वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे, इसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है किन्तु निर्भरता के मापदण्ड अलग से स्पष्ट किये जाने हैं।

(9) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि 1-1-1986 के पूर्व के पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1-1-1986 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन स्तर तक लाने के पश्चात् उन्हें पेंशन समेकन के सम्बन्ध में निर्धारित करने के सम्बन्ध में उतना ही लाभ दिया जाये जितना सेवारत कर्मचारियों को उनके वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दिया जाये और पारिवारिक पेंशन की राशि दिवंगत कर्मचारी द्वारा धारित पद के न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत से कम न हो, को यथावत् स्वीकार नहीं किया गया। केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि 1986 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनभोगियों और 1-1-1996 से पूर्व के सभी पेंशन भोगियों की पारिवारिक पेंशन 1-1-1996 की स्थिति के अनुसार समेकित की जायेगी किन्तु दिवंगत कर्मचारियों द्वारा धारित पद के न्यूनतम वेतन की 30 प्रतिशत तक नहीं लायी जायेगी। पारिवारिक पेंशन के आगणन के सम्बन्ध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति को यथावत् लागू न करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1-1-1996 को पारिवारिक पेंशन समेकित करते समय मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत जोड़ा जायेगा किन्तु 1-1-1996 को समेकित पारिवारिक पेंशन को न्यूनतम पेंशन के 30 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(10) पेंशन के राशिकरण (कम्प्यूटेशन) के सम्बन्ध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति कि वर्तमान पेंशन की अधिकतम $\frac{1}{3}$ के स्थान पर पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत तक राशिकरण का लाभ दिया जाये, को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है किन्तु उसकी बहाली के सम्बन्ध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की 15 वर्ष की सीमा को घटाकर 12 वर्ष किये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।

(11) महंगाई राहत के सम्बन्ध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की यह संस्तुति स्वीकार कर ली गयी है कि सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मूल्यवृद्धि के सन्दर्भ में उसी मापदण्ड से महंगाई राहत दी जाये जिस मापदण्ड से सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी जाती है।

वेतन समिति का गठन :

22—पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों पर राज्य सरकार को संस्तुति देने के लिए वेतन समिति का गठन उत्तर प्रदेश शासन के संकल्प संख्या : प० मा० नि०-225/दस-97-5(एम)/97, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 द्वारा किया गया। समिति के विचारक्षेत्र के बिन्दु (टर्म्स आफ रेफरेन्स) परिशिष्ट-"क" पर दिये गये हैं। समिति ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-236/दस-7(एम)/97, दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 द्वारा अनेक बिन्दुओं पर सूचना मांगी। वेतन समिति ने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया कि क्योंकि समिति को शीघ्र अपनी रिपोर्ट देनी है, अतः सभी विभागों को निर्देश दें कि वह समिति द्वारा मांगी गयी सूचना तत्परता से भेजें। वेतन समिति ने अभी तक 14 बैठकों की तथा 66 विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों व विभागाध्यक्षों को विचार विमर्श हेतु आमन्त्रित किया। समिति के समक्ष केवल 9 प्रमुख सचिव/सचिव तथा 21 विभागाध्यक्ष विचार-विमर्श हेतु उपस्थित हुए। अधिकतर विभागों ने कनिष्ठ अधिकारियों को समिति के समक्ष भेजा। 14 विभागों से किसी अधिकारी ने समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया। जो अधिकारी समिति के समक्ष आये, उनमें से बहुत से अपने विभागों के वेतनमानों के ढाँचे से अनभिज्ञ थे और उन्होंने इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला। अतः विभागों से छुट-पुट मामलों को छोड़कर कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। राज्य सरकार द्वारा जहां एक ओर समिति से वेतनमानों के सम्बन्ध में तत्परता से संस्तुति देने की अपेक्षा की गयी है, वहीं दूसरी ओर विभागों द्वारा इस कार्य में उदासीनता अपनाई गयी है।

समिति का विचारक्षेत्र काफी बृहद् है और जिन बिन्दुओं पर रिपोर्ट देने को कहा गया है, उनके अध्ययन में काफी समय लग सकता है। विषय की महत्ता को देखते हुए समिति ने शासन से अनुरोध किया कि वह तीन उप समितियों का गठन

करे जो क्रमशः राज्य सरकार के सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण, राजकीय व सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनमानों तथा स्थानीय निकायों (विकास प्राधिकरणों सहित) के ढांचे तथा विभिन्न सवंगों की अर्हताओं इत्यादि का अध्ययन करें। इस संबंध में शासन द्वारा उप समितियों का गठन अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 नवम्बर, 1997 द्वारा किया गया है।

वेतन समिति की संस्तुतियां:

23—शासकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान तथा पेंशनभोगियों के पुनरीक्षित पेंशन के विषय में समिति ने अध्ययन किया और राजकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान, महंगाई भत्ता तथा पुनरीक्षित पेंशन के मापदण्ड इत्यादि के विषय में इस प्रथम प्रतिवेदन में संस्तुति दी है। समिति के निष्कर्ष व संस्तुतियां निम्नवत् हैं:-

(1) 1990 के दशक में प्रदेश की आर्थिक प्रगति में काफी गिरावट आई है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल बिहार व उड़ीसा से अधिक है, परन्तु देश की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश कम हुआ है। साथ ही सभी स्तरों पर उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(2) प्रशासनिक सुधार का विषय राज्य में एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार के बहुत से कदम अन्य राज्यों में उठाये गये हैं, परन्तु यह प्रदेश उनसे अधिकतर अछूता रहा है। राज्य में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग कई वर्षों से अलग विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, परन्तु इस विभाग को प्रशासनिक सेवा तथा शासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं माना गया है और अधिकतर इसमें ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता रहा है जिन्हें यह महसूस हो कि उन्हें इस विभाग में किसी सजा के तौर पर भेजा गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कई विभागों की कार्यप्रणाली पर अध्ययन कराये गये हैं, परन्तु विचार-विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि इनमें से किसी पर भी समुचित कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गयी है। प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने कुछ अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। एक अध्ययन इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन (आई०आई०पी० ए०) को, सचिवालय के संगठन व कार्यप्रणाली के विषय में, करने को दिया है। इसी प्रकार प्रदेश शासन में इंजीनियरिंग विभागों के संगठन व भूमिका तथा बदलती आर्थिक नीतियों के परिवेश में उद्योग निदेशालय की भूमिका व कुछ अन्य विषयों पर जानीमानी संस्थाओं तथा विशिष्ट शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन कराये जाएंगे। इन अध्ययनों तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर समिति बाद में अपनी संस्तुति करेगी।

(3) वर्ष 1994 में प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की संख्या लगभग दस लाख पहुंच चुकी थी। इनमें से लगभग 2.65 लाख कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं, जोकि अधिकाधिक सहायक स्टाफ (सपोर्टिंग स्टाफ) की श्रेणी में आते हैं। यही स्थिति तृतीय श्रेणी के स्टाफ की भी है। यह उचित होगा कि वर्तमान श्रेणी तीन व चार के उपयुक्त कर्मचारियों को कम्प्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण देकर उनके काम की उत्पादकता बढ़ाई जाय। इसी प्रकार बहुत से पद, जैसे पानीवाला तथा भिश्ती इत्यादि, काफी समय से चले आ रहे हैं जिनके बदलते हुए परिवेश तथा अन्य सुविधाओं के विकसित होने के कारण आवश्यकता नहीं है। ऐसे पदों को समाप्त कर देना चाहिए तथा वर्तमान में नियुक्त कर्मचारियों को अन्यत्र खपाना चाहिए। शासन ऐसे पदों पर भविष्य में कोई नई नियुक्ति न करे। अभी तक श्रेणी तीन व चार के कर्मचारियों का प्रशिक्षण उपेक्षित रहा है। यदि इन कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना है तो इस ओर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय कदम उठाने आवश्यक होंगे।

(4) एक बात जो उभरकार सामने आई कि इतने वर्षों के बाद भी शासन के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि विभिन्न विभागों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। इस समय की प्रणाली यह है कि जो पद स्वीकृत किये जाते हैं, उनका ब्योरा बजट के संस्करण-6 में दिया जाता है। सामान्यतः 10 से 15 प्रतिशत पद एक समय में रिक्त रहते हैं परन्तु किस श्रेणी के पद कब और कितने रिक्त हैं, इसकी कोई सूचना न तो प्रशासनिक सुधार विभाग, न ही संबंधित विभाग अथवा वित्त विभाग में उपलब्ध है। अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान एक सर्वेक्षण कराता है जिसमें वह राज्य सरकार में पूर्णकालिक, दैनिक वेतनभोगी तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के संबंध में सूचना एकत्रित करता है। पूर्णकालिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के विषय में आखिरी सूचना वर्ष 1991 में संकलित की गयी थी। इसके बाद यह कार्य नहीं किया गया। मानव शक्ति नियोजन (मैनपावर प्लानिंग) के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृत पदों के साथ-साथ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए एक सरल समाधान यह होगा कि विभागों द्वारा कोषागारों में जब वेतन संबंधी सूचना भेजी जाय तो देयक में ही कर्मचारियों की वर्गवार संख्या भी अंकित हो। चूंकि अब कोषागारों में कम्प्यूटर प्रणाली लागू हो रही है, इसलिये यह सूचना आसानी से संकलित की जा सकती है। साथ ही जो कार्य अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान द्वारा किया जा रहा है, उसका भी कम्प्यूटरीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग में कई वर्ष पहले एक यूनीटेक कम्प्यूटर लगाया गया था। देश के किसी अन्य राज्य में उस समय ऐसा कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था, परन्तु अब जबकि अन्य प्रदेशों में आधुनिक ढंग से काम हो रहा है, तब अर्थ एवं

सांख्यिकीय प्रभाग में यह सब काम बिना मशीनों के किया जा रहा है। अतः इतने बड़े प्रदेश में डाटा प्रोसेसिंग के कार्य हेतु कम्प्यूटरीकरण तथा स्कैनर के प्रयोग की नितान्त आवश्यकता है। समिति यह संस्तुति करती है कि इस ओर शासन द्वारा समुचित कदम उठाये जायें ताकि आर्थिक आंकड़े समय से प्राप्त हो सके।

(5) राज्य में दैनिक वेतन कर्मचारियों व वर्कचार्ज श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। कई बार कर्मचारियों को नियमित किया गया है, परन्तु कुछ वर्ष बाद पुनः यह समस्या उठ जाती है। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति बहुत से राज्यों में है। इस समस्या के समाधान के लिए आन्ध्र प्रदेश शासन ने ऐक्ट नम्बर-2, 1994 द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके साथ ऐक्ट में यह प्राविधान भी रखा गया है कि किसी पद पर कोई अस्थाई नियुक्ति शासन की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। ऐक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को कम से कम छः माह की जेल की सजा दी जा सकती है। समिति को ज्ञात हुआ है कि इस ऐक्ट के बनने के बाद आन्ध्र प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारी नियुक्त नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी शासन द्वारा इस प्रकार के ऐक्ट बनाने पर तत्परता से कार्य किया जाना चाहिए।

(6) समिति ने यह पाया कि विभागों द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के विषय में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन द्वारा शिकायत निवारण तन्त्र (ग्रीवान्सेज रिड्रेसल मशीनरी) स्थापित की गयी है, परन्तु वह केवल कागज पर ही है और इसका कोई प्रभाव विभाग तथा कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों के सुधार पर नहीं पड़ा है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार ही प्रदेश में सबसे बड़ी वादी है। यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय से हो जाये, तो बहुत सेवादों से बचा जा सकता है।

(7) कुछ विभागों में विभागाध्यक्ष, अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, संयुक्त विभागाध्यक्ष इत्यादि के पद बहुत समय से रिक्त हैं। उदाहरणार्थ नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में इस समय निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा 14 उप निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर काफी समय से चयन नहीं हुआ है और यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने की कोई सम्भावना भी प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार की व्यवस्था का मुख्य कारण यह है कि समय से चयन की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गयी। इसी प्रकार निदेशक, पर्यावरण के पद पर एक अधिकारी पिछले कई वर्षों से तदर्थ रूप से नियुक्त है परन्तु उसको इस पद का लाभ इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि पहले कई वर्ष सेवा नियमावली बनने में लगे और इसके बनने के बाद भी दो वर्ष से चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है। समिति का मत है कि सभी विभागाध्यक्षों के चयन के विषय में पद रिक्त होने से छः माह पूर्व कार्मिक विभाग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए ताकि विभागाध्यक्ष का पद समय से भरा जा सके। चूंकि हर अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि निश्चित है, इसलिए यह कार्यवाही समय से सम्पन्न किये जाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, संयुक्त/उपविभागाध्यक्ष के पदों के विषय में विभागों का यह उत्तरदायित्व हो कि वह समय से चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कराये।

(8) समिति के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें शासन द्वारा कर्मचारियों के प्रतिवेदनों व समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, परन्तु यह निर्णय विभागाध्यक्षों तक को ज्ञात नहीं है। समिति को बताया गया कि सूचना विभाग के फोटोग्राफर व फोटो अधिकारी के पदों के वेतनमानों में शासन द्वारा 1995 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु अभी तक इसकी सूचना विभागाध्यक्ष कार्यालय अथवा संबंधित संवर्गों को नहीं है। ऐसे कई मामले समिति के समक्ष आये हैं। इससे स्पष्ट है कि शासन के निर्णयों के क्रियान्वयन में कितनी उदासीनता है।

(9) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न पदों व सेवाओं की नियमावली बनाने का काम तत्परता से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु अभी भी बहुत सी सेवाओं की नियमावलियाँ नहीं बनी हैं। इससे स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही पिछड़ गयी है जिससे कर्मचारियों में रोष की भावना उत्पन्न होती है। विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश विभागों में कैडर रिव्यू नहीं किया गया है। बहुत से विभागों में इसके कारण प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। प्रत्येक संवर्ग का कम से कम 5 वर्ष में एक बार रिव्यू अवश्य होना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों में पदों को बढ़ाया अथवा घटाया जा सके।

(10) समता समिति ने अपनी रिपोर्ट, 1989 में दी थी। तब से राज्य सरकार की समितियों द्वारा बहुत से वेतनमानों में संशोधन/उच्चीकरण किया गया है। कुछ वेतनमानों में परिवर्तन तो केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी किया गया है जिससे बहुत से संवर्गों में रोष है। तदर्थ रूप से वेतनमानों में फेरबदल करने से विभिन्न सेवाओं तथा पदों में असमानता आ जाती है जिससे नये-नये विवाद खड़े हो जाते हैं। अतः उपयुक्त यह होगा कि पदों के वेतनमानों में फेरबदल करने के बजाय समय से कैडर रिव्यू तथा जहां सम्भव हो, पूरे विभाग के टार्गेट का रिव्यू करा लिया जाये।

(11) समिति ने पाया कि बहुत से विभागों में एक जैसे वेतनमान हैं परन्तु उनमें चयन की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। बहुत से विभागों में पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं तथा उसी श्रेणी के पदों पर कुछ विभागों में विभागीय समितियों द्वारा चयन किया जाता है। कुछ विज्ञान संबंधी

विभागों को छोड़कर बाकी पदों पर सभी नियुक्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जानी चाहिए तथा जहां विभागीय चयन समितियों की प्रक्रिया लागू है, उसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। यही प्रक्रिया उन संस्थाओं द्वारा भी अपनाई जानी चाहिए जिनके कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भाग शासन से प्राप्त होता है।

(12) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, महंगाई भत्ता इत्यादि दिनांक 1-1-1996 से देय है। इन सेवाओं के लिए वेतन तथा महंगाई भत्तों के विषय में वही प्रक्रिया अपनाई जाय जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अपनाई जाती है। पहले भी राज्य सरकार के अन्तर्गत इस विषय में सभी कर्मचारियों के साथ समान नीति अपनाई जाती रही है। अतः इसमें भेदभाव से राज्य सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है।

(13) संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों के बाद प्रदेश में जिला पंचायत, ब्लाक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत व नगर निगमों के अधिकारों व दायित्वों में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं। इन संस्थाओं को अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि जिला, ब्लाक व ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों व नगर निगमों को जो अनुदान कर्मचारियों के वेतन के संबंध में दिया जाता है, वह नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक संसाधन दिये जाने के बाद क्या वेतन का कोई भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, विशेषकर जबकि इन पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। अतः इसके संवैधानिक एवं वित्तीय पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा पहले निर्णय लिया जाना आवश्यक है। समिति ने इस संबंध में राज्य सरकार को अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-11/वे०सं०/97 दिनांक 6 नवम्बर, 1997 द्वारा स्पष्ट निर्देशों की अपेक्षा की है क्योंकि पंचायतों के वेतन के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व कुल वित्तीय उत्तरदायित्वों के पहलुओं पर निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा।

पुनरीक्षित वेतनमान :

(14) पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-1996 से जो पुनरीक्षित वेतनमान अपनाये गये हैं, उनके विषय में विचार किया गया। इस समय समिति राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुतियाँ दे रही हैं। राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए प्रदेश में इस समय 8000 रु० के नियत वेतन को लेते हुए कुल 39 वेतनमान उपलब्ध हैं। इन 39 वेतनमानों में 8 वेतनमान ऐसे हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये वेतनमानों से भिन्न हैं और इन 8 वेतनमानों का निर्धारण विगत में समता समिति द्वारा केन्द्र सरकार में 1-1-1986 से प्रचलित वेतनमानों को आधार में लेते हुए किया गया था। यह 8 वेतनमान निम्न हैं:-

- (1) 1400—40—1800—द० रो०—50-2400
- (2) 1600—50—2300—द० रो०—60-2600
- (3) 2350—75—2800—द० रो०—100-4000
- (4) 2275—75—2800—द० रो०—100-4100
- (5) 2350—75—2800—द० रो०—100-4300
- (6) 2350—75—2800—द० रो०—100-4400
- (7) 3000—100—3500—125—4750
- (8) 3200—100—3500—125—4875

(15) केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये वेतनमानों में, जैसा ऊपर अंकित है 8 वेतनमानों को छोड़कर शेष अपुनरीक्षित वेतनमान प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत करते समय समिति ने इस बात का प्रयास किया है कि ऐसे 8 वेतनमान जो प्रदेश में उपलब्ध हैं किन्तु केन्द्र सरकार में विद्यमान नहीं हैं, उनका पुनरीक्षित वेतनमान यथासंभव केन्द्र द्वारा अपनाये गये पुनरीक्षित वेतनमानों में ही किसी के साथ सम्बद्ध किया जाय। जहां ऐसा करना उपयुक्त नहीं पाया गया उसके लिए अलग वेतनमान की संस्तुति की जा रही है। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं:-

1—पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1-1-1996 से लागू किये जायें।

2—ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान से हटकर अन्य कोई वेतनमान का औचित्य पाया जाता है उसके बारे में संवर्गवार/पदवार परीक्षण करते हुए समिति की संस्तुतियां बाद में दी जायेगी। इस समय विद्यमान वेतनमानों का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत किया जा रहा है। सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान निम्नांकित होंगे:—

क्रमांक	वर्तमान वेतनमान	संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान
1	750—12—870—द० रो०—14—940	2550—55—2660—60—3200
2	775—12—871—द० रो०—14—1025	2610—60—3150—65—3540
3	800—15—1010—द० रो०—20—1150	2650—65—3300—70—4000
4	825—15—900—द० रो०—20—1200	2750—70—3800—75—4400
5	950—20—1150—द० रो०—25—1400	3050—75—3950—80—4590
6	950—20—1150—द० रो०—25—1500	
7	975—25—1150—द० रो०—30—1540	3200—85—4900
8	975—25—1150—द० रो०—30—1660	
9	1200—30—1440—द० रो०—30—1800	4000—100—6000
10	1200—30—1560—द० रो०—40—2040	
11	1320—30—1560—द० रो०—40—2040	
12	1350—30—1440—40—1800—द० रो०—50—2200	4500—125—7000
13	1400—40—1800—द० रो०—50—2300	
14	1400—40—1600—50—2300—द० रो०—60—2600	5000—150—8000
15	1600—50—2300—द० रो०—60—2660	
16	1640—60—2600—द० रो०—75—2900	5500—175—9000
17	2000—60—2300—द० रो०—75—3200	6500—200—10500
18	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500	
19	2375—75—3200—द० रो०—100—3500	7450—225—11500
20	2200—75—2800—द० रो०—100—4000	8000—275—13500
21	3000—100—3500—125—4500	10000—325—15200
22	3000—100—3500—125—5000	
23	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500
24	4100—125—4850—150—5300	14300—400—18300
25	4500—150—5700	
26	5100—150—5700	16400—450—20000
27	5100—150—6150	
28	5100—150—5700—200—6300	
29	5900—200—6700	18400—500—22400
30	7300—100—7600	22400—525—24500
31	नियत वेतन रु० 8000	रु० 26000 नियत

3—ऐसे 8 वेतनमान जो उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं हैं, उनके लिए पुनरीक्षित वेतनमान 1-1-1996 से निम्नवत् रखे जायें:—

(1) प्रदेश में विद्यमान रु० 1400-2400 का वेतनमान समता समिति ने दिनांक 1-1-1986 के वेतनमान रु० 1400-2300 के अधिकतम पर 2 वेतनवृद्धियाँ बढ़ाते हुए बनाया है। रु० 1400-2400 के वेतनमान को केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये पुनरीक्षित वेतनमान के किसी ब्रेकेट के साथ रखना उचित नहीं लगता है। अस्तु रु० 1400-2400 का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 4500-125-7250 रखा जाय।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 1400-2600 तथा 1600-2660 को मिलाते हुए पुनरीक्षित वेतनमान रु० 5000-150-8000 रखा गया है। प्रदेश में विद्यमान रु० 1600-2600 का वेतनमान इस ब्रेकेट के अन्तर्गत ही आता है। अतः तदनुसार रु० 1600-2600 का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 5000-150-8000 रखा जाय।

(3) प्रदेश में विद्यमान रु० 2350-4000 तथा रु० 2275-4100 का वेतनमान रु० 2200-4000 के आधार पर बनाया गया वेतनमान हैं। रु० 2350-4000 के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन कुछ अधिक रखा गया है किन्तु अधिकतम समान हैं। रु० 2275-4100 के वेतनमान में केवल एक वेतनवृद्धि का अन्तर है। इन वेतनमानों हेतु समिति अलग वेतनमान बनाये रखने का औचित्य नहीं समझती है। इसके स्थान पर रु० 8000-275-13500 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय। ऐसा करने से कोई विशिष्ट समस्या भी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

(4) विद्यमान वेतनमान रु० 2350-4300 तथा रु० 2350-4400 के वेतनमान भी रु० 2200-4000 के वेतनमान के आधार पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़कर बनाये गये हैं। किन्तु इन वेतनमानों में अधिकतम में 3 और 4 वेतनवृद्धियों का अन्तर रखा गया है। इन दोनों वेतनमानों के स्थान पर समिति की संस्तुति है कि संशोधित वेतनमान रु० 8550-275-14600 रखा जाये।

(5) रु० 3000-4750 का वेतनमान भी केन्द्र सरकार में उपलब्ध नहीं हैं। समता समिति ने इस वेतनमान को भी 1-1-1986 के वेतनमान रु० 3000-4500 के अधिकतम में दो वेतनवृद्धियाँ बढ़ाते हुए बनाया था। अब केन्द्र सरकार द्वारा जो पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये हैं उनमें अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 3000-4500 तथा रु० 3000-5000 को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान रु० 10000-325-15200 रखा गया है। प्रदेश में विद्यमान रु० 3000-4750 का वेतनमान इसी ब्रेकेट के अन्तर्गत आता है। इस वेतनमान हेतु भी संशोधित वेतनमान रु० 10000-325-15200 रखा जाय।

(6) प्रदेश में विद्यमान रु० 3200-4875 के वेतनमान का अधिकतम हालांकि रु० 5000 से कम है किन्तु प्रदेश के वेतनमान ढाँचे में यह वेतनमान रु० 3000-4500 के वेतनमान के न्यूनतम पर 2 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ तथा अधिकतम पर 3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देकर बनाया गया था और इसे रु० 3700-5000 के वेतनमान के स्तर से कम रखा गया था। अतः सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति रु० 3200-4875 के वेतनमान का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 10650-325-15850 संस्तुत करती है।

4—समिति द्वारा उपरोक्त क्रमांक (2) व (3) के अन्तर्गत संस्तुत किये गये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा पहले से माने गये समयमान वेतनमान के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान 1-1-1996 को प्राप्त कर रहे थे। यह सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान उन्हें वैयक्तिक रूप से दिनांक 1-1-1996 से मिलता रहे।

5—दिनांक 1-1-1996 के बाद समयमान वेतनमान के संबंध में समिति यह संस्तुति करती है कि दिनांक 1-1-1996 के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित रखा जाय।

6—ऐसे संवर्ग/पदों के धारकों को जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 1-1-1996 के बाद हुआ है, यह विकल्प दिया जाये कि वे या तो दिनांक 1-1-1996 को विद्यमान वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अथवा उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करें।

7—सेवा अवधि के आधार पर समयमान वेतनमान देने संबंधी पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां अभी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गयी हैं और यह विषय केन्द्र सरकार के विचारागत है। अतः समयमान वेतनमानों के संबंध में समिति अपनी संस्तुति बाद में देगी।

8—उपरोक्त संस्तुत सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान राजकीय प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के शिक्षकों तथा उक्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु लागू नहीं होंगे। इनके संबंध में समिति की संस्तुतियां बाद में दी जायेगी।

9—केन्द्र सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्रों के सबार्डिनेट ज्युडीशियरी के अधिकारियों का मामला पंचम वेतन आयोग की परिधि में नहीं रखा था। न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अलग समिति गठित की गयी है। समिति को ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है कि इन अधिकारियों के वेतनमान केन्द्र सरकार उक्त समिति से हटकर पुनरीक्षित करेगी या नहीं। अतः जब तक स्थिति स्पष्ट न हो, समिति की यह संस्तुति है कि उपरोक्त संस्तुत सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान उ०प्र० न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

वेतन निर्धारण:

(16) पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के संबंध में समिति की संस्तुति है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया उसी प्रकार अपनायी जाय जैसी केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मानी है।

महंगाई भत्ता:

(17) पंचम वेतन आयोग ने दिनांक 1-1-1996 से संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 1-1-1996 को वर्ष 1960 के आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1510 अंकों तक का महंगाई भत्ता वेतन के साथ संविलीन करने की संस्तुति की और पुनरीक्षित वेतनमान के साथ महंगाई भत्ते की देयता के पैटर्न में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1960 के स्थान पर वर्ष 1982 अपनाने तथा मुद्रास्फीति निष्प्रभावों को सभी स्तरों पर शतप्रतिशत की दर से एक समान देने की संस्तुति भी सम्मिलित है। केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते के संबंध में पंचम वेतन आयोग की यह संस्तुति कि महंगाई भत्ता (महंगाई वेतन सहित) करों के निबल में अदा किया जाना चाहिए, को छोड़कर सामान्यतः स्वीकार कर ली है। तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-7-1996, 1-1-1997 तथा 1-7-1997 से महंगाई भत्ता की तीन किशते क्रमशः 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत की दर से स्वीकार की जा चुकी हैं।

प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश प्रथम वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों पर महंगाई भत्ता के संबंध में केन्द्र सरकार से "पैरिटी" स्वीकार कर चुकी है। दिनांक 1-5-1973 से प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता उन्हीं दरों/सीमा के आधार पर दिया जाता रहा है जैसा केन्द्र सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों हेतु निर्णय लेती है। महंगाई भत्ते की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया में अन्तर अवश्य है। प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासमय यह निर्णय लेती रही है कि किस अवधि तक की देय धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाय और कब से इसका नकद भुगतान हो किन्तु महंगाई भत्ते के फार्मूले की पैरिटी विद्यमान है। अतः समिति की संस्तुति है कि राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, जैसा ऊपर प्रस्तावित है के साथ दिनांक 1-7-1996, 1-1-1997 तथा 1-7-1997 से महंगाई भत्ता उसी प्रकार दिया जाये जैसा केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये स्वीकार किया है।

पेंशन तथा संबंधित लाभ:

(18) पेंशन तथा उससे संबंधित अन्य लाभों के संबंध में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत कुछ मामलों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों में कतिपय संशोधन भी किये हैं। न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु० 1220 से बढ़ाकर रु० 1275 की गई हैं और 1996 के पूर्व से पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामलों में 1-1-1996 को पेंशन तथा पेंशन के समेकन पर मूल पेंशन के 40 प्रतिशत की दर पर निर्धारण संबंधी लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पेंशन आगणन के मामले में भी कुछ संशोधन किये गये हैं। ग्रेच्युटी की सीमा रु० 2.5 लाख से बढ़ाकर रु० 3.5 लाख की गई है। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की विभिन्न दरों के स्थान पर समान दर रखी गयी है और दिनांक 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी के वेतन के 30 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है। महंगाई राहत पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को उसी मापदण्ड से देने का निर्णय लिया गया है जैसा सेवारत कर्मचारियों को मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप महंगाई भत्ता दिया जाता है। पेंशन के राशिकरण की वर्तमान दर पेंशन की 1/3 भाग तक के स्थान पर पेंशन की 40 प्रतिशत तक राशिकरण करवाने का लाभ स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन के एक निर्धारित भाग का राशिकरण तथा पारिवारिक पेंशन केन्द्र सरकार के सादृश्य देती रही है। विगत में दिनांक 1-1-1986 से लागू पुनरीक्षित व्यवस्था के अन्तर्गत भी राज्य

सरकार ने उपरोक्त लाभ केवल न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की धनराशि को छोड़कर शेष यथावत 1-1-1986 से मान रखा है। हालांकि केन्द्र सरकार ने न्यूनतम पारिवारिक पेंशन भी 1-1-1986 से संशोधित की थी, किन्तु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के आधार पर पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि 1-4-1990 से स्वीकृत की है। समिति की यह संस्तुति है कि पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत दिनांक 1-1-1996 से उसी प्रकार दी जाय जैसा केन्द्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए स्वीकार किया है।

अतिरिक्त व्ययभार :

(19) समिति द्वारा की गई उपरोक्त संस्तुतियों के फलस्वरूप रु० 1182 करोड़ का औसत अतिरिक्त अनुमानित वार्षिक व्ययभार तथा दिनांक 1-1-1996 से वर्ष 1997-98 तथा कुल औसत अतिरिक्त व्ययभार रु० 2535 करोड़ अनुमानित है।

अवशेष का भुगतान :

(20) पुनरीक्षित वेतनमान/महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय धनराशि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाना समिति की राय में उचित होगी :—

(क) दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 तक पुनरीक्षित वेतनमान में देय वेतन का अवशेष कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाय।

(ख) दिनांक 1-7-1996, 1-1-1997 तथा 1-7-1997 से महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 30-9-1997 तक का अवशेष कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाय।

(ग) दिनांक 1-10-1997 से वेतन तथा महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाय।

(घ) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय अवशेष का नकद भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाय। पहली किश्त दिनांक 31-3-1998 से पूर्व और दूसरी किश्त वर्ष 1998-99 में 31-7-1998 से पूर्व दी जाय। इस प्रकार अवशेष के भुगतान का भार राज्य सरकार के संसाधनों पर दो वित्तीय वर्षों में होगा।

ह०/—

(लक्ष्मी चन्द)

सदस्य

ह०/—

(वी० के० मित्तल)

सदस्य

ह०/—

(आलोक रंजन)

सदस्य

ह०/—

(आर० सी० अग्रवाल)

सदस्य-सचिव

ह०/—

(जे० एल० बजाज)

अध्यक्ष

लखनऊ :

दिनांक 25 नवम्बर, 1997।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग

संख्या-प० मा० नि०-225/दस-97-5 (एम)/97
लखनऊ, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997

संकल्प

विषय :—प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन।

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में युक्तिसंगत संस्तुति करने के लिए श्री जे० एल० बजाज, सेवा निवृत्त आई० ए० एस० की अध्यक्षता में एक वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

1—श्री एस० सी० त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उ० प्र० शासन

सदस्य

2—श्री लक्ष्मी चन्द,
प्रमुख सचिव, ऊर्जा,
उ० प्र० शासन

सदस्य

3—श्री आलोक रंजन,
सचिव, वित्त (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग),
उ० प्र० शासन

सदस्य

4—श्री आर० सी० अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त विभाग,
उ० प्र० शासन

सदस्य-सचिव

2—समिति के विचार क्षेत्र में निम्न बिन्दु होंगे :—

(1) निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में वेतनमानों के आधार पर संस्तुति—

(क) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।

(ख) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारी।

(ग) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।

(घ) यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन/अपट्रान सहित उन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग जो समता समिति, 1988 की परिधि में थे।

(2) ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां।

(3) जूनियर डाक्टर एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी के सम्बन्ध में संस्तुतियां।

(4) समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान का पुर्नावलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुतियां।

- (5) विभिन्न प्रकार के मिल रहे भत्ते एवं सुविधायें ।
- (6) राज्य कर्मचारियों का पेंशन ढांचा तथा अन्य पेंशनरी लाभ ।
- (7) ऐसे विशिष्ट मामले जो शासन द्वारा संदर्भित किये जायें ।

3—केन्द्र सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्रों के सबऑर्डिनेट ज्यूडिसरी के अधिकारियों को पंचम वेतन आयोग की परिधि में नहीं रखा था । न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान हेतु भारत सरकार द्वारा गठित अलग समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । यदि इन अधिकारियों के वेतनमान अलग समिति द्वारा पुनरीक्षित किये जाने हैं तो उ० प्र० न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा इस समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं होगी ।

4—समिति उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखेगी । समिति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी ।

5—समिति का मुख्यालय लखनऊ में होगा और विचार विमर्श के लिये वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी । समिति ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे ।

6—समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी संस्तुति शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव ।

-
- 1—यह आदेश दिया कि संकल्प को उ० प्र० के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय ।
 - 2—आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें ।
 - 3—आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय ।
 - 4—आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जायें ।
 - 5—आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जायें ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग

संख्या प० मा० नि०-289/दस-5 (एम)-97
लखनऊ, दिनांक 13 नवम्बर, 1997

संकल्प

विषय :—प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन।

उपर्युक्त विषयक संकल्प संख्या प० मा० नि० 225/दस 97-5 (एम)-97, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि श्री एस० सी० त्रिपाठी, सदस्य के स्थान पर श्री वी० के० मिश्र, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ० प्र० शासन वेतन समिति के सदस्य होंगे। उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 9-10-1997 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
एस० सी० त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

- 1—आदेश दिया कि संकल्प को उ० प्र० के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।
- 2—आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाये।
- 3—आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
- 4—आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों को भी भेजी जायें।
- 5—आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जाये।

आज्ञा से,
एस० सी० त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

